न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—237 / 2009 / 223 (2009 / 00003)

1. मंदिर मूर्ति श्री गोरधनदास जी अवस्थित ग्राम भिनाय, जरिये नेक्स्ट फ्रैंड राजेन्दसिंह पुत्र शम्भूसिंह (शम्भूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह) जाति राजपूत, नि0 सोलिया, हाल मुकाम सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र स्व0 रणजीतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, जाति राजपूत, निवासी सोलिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर हाल मुकाम केन्द्रीय भेड़—उन रिसर्च सेन्टर स्टॉक असिस्टेंट, अम्बिका नगर, मालपुरा, जिला टोंक ।
3. हनुवन्त सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोलिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 11.9.2009 अंतर्गत वाद संख्या 150 / 2008 (208 / 1994).

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या नया 198 पुराना 127 खसरा नंबर 528 / 1 रकबा 7—17—00 एवं खसरा नंबर 869 रकबा 69—17—00 बीघा भूमियां ग्राम सोलिया, तह0 सरवाड़ में अवस्थित है । उक्त आराजियात मंदिर मूर्ति श्री गोरधननाथ जी भिनाय की सेवा—पूजा के लिए ठा0 रणजीतसिंह ने दी थी व उक्त पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजियात के प्रारंभ से ठा0 रणजीतसिंह पुत्र ठा0 संग्रामसिंह बहैसियत पुजारी व सरंक्षक के उक्त आराजियात का अपने जीवनकाल में वे स्वंय

देखल करना, पैदावार प्राप्त करना, काश्त करवाना व उक्त मंदिर मूर्ति की सेवा–पूजा एवं मरम्मत आदि तथा सामाजिक पर्व पर उक्त मंदिर मूर्ति की प्रबंध व्यवस्था करते आ रहे थे । इसी कारण जमाबंदी चौसाला संवत् 2020 से 2023 में उक्त आराजियात मंदिर श्री गोरधननाथ जी बऐतमाम पुजारी रणजीतसिंह पुत्र संग्रामसिंह दर्ज है । कालांतर में राज्य सरकार के आदेशानुसार पुजारी के नाम का अंकन हटा दिया गया फिर भी रणजीतसिंह द्वारा मंदिर मूर्ति की सेवा–पूजा करवाना व मंदिर के रख–रखाव, भोग पूजा, मंदिर की ओर से गायों के लिए चारे एवं पक्षियों के अनाज इत्यादि की व्यवस्था उनके जीवनकाल में की जाती रही । तत्पश्चात् मंदिर की सम्पति की व्यवस्था व देख–रेख हेतु रणजीतसिंह द्वारा दिनांक 14.9.1996 को एक तहरीर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार शंभूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के पक्ष में निष्पादित की गई और मंदिर की समस्त देख–भाल, सेवा–पूजा, मरम्मत, काश्त की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था हेतु शंभूसिंह को मकर्रर कर दिया गया जिससे रणजीसिंह के पश्चात् मंदिर की समस्त व्यवस्था नेक्स्ट फ्रैण्ड/सरंक्षक की हैसियत से शंभूसिंह करता आ रहा है । दिनांक 22.5.2004 को वादी जब मंदिर की उक्त आराजियात की हंकाई करने गया तो प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने रास्ता रोक लिया और सामने खड़े हो गये फिर कहा उक्त भूमि हमारे बाप–दादा की जमीन है, उन्होंने मंदिर में दी होगी, हम मंदिर को देना नहीं मानते, इसे हम ही काश्त करेगें और तुम हट जावे नही तो जबरन अतिक्रमण करेंगे । अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर वाद के कथनों से इंकार किया । तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर वाद संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.2009 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट की ओर से मंदिर मूर्ति की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात पर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने, जबरन अतिक्रमण कर नाजायज प्रयास कर मंदिर मूर्ति की भूमि से उत्पन्न पैदावार को गैर कानूनी रूप से हड़प करने एवं अन्यथा मंदिर व मंदिर की भूमि को नुकसान कारित करने से पाबंद करवाने हेतु वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था । उक्त वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है लेकिन अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किये बिना कि राज0काश्त0अधि0 की धारा1 88 के तहत उक्त वाद उन्हें सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है यह मानते हुए वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात की सुरक्षा किये जाने का दायित्व न्यायालय का है । बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था एवं दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि प्रतिवादीगण ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र

आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये है उस संबंध में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते । किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को केवल मात्र तकनीकी आधार पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति श्री गोरधननाथ जी जो कि शाश्वत नाबालिग, की खातेदारी की आराजियात है । विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति को श्री रणजीतसिंह द्वारा ही भेंट की गई थी एवं उनके द्वारा ही व्यवस्था की जा रही थी एवं उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उक्त आराजियात की देखभाल की जाकर मंदिर मूर्ति की प्रबंध व्यवस्था शंभूसिंह को सौंप दी गई थी जिसके अनुसार वादी बहैसियत सरंक्षक/नेक्स्ट फ्रैण्ड उक्त आराजियात की देखभाल कर मंदिर की प्रबंध व्यवस्था करते आ रहे है । मंदिर मूति को धारा 46 राज0काश्त0अधि0 के तहत विशेष सरंक्षण प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को मंदिर मूर्ति की आराजियात की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1975 पेज 228, 236, आर0आर0डी0 2004 पे 779, आर0आर0डी0 1999 पेज 65, आर0आर0डी0 2003 पेज 542, आर0आर0डी0 2011 पेज 285, आर0आर0डी0 2016 पेज 542, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1357 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । ठा0 रणजीतसिंह जी उक्त मंदिर के पुजारी व प्रबंधक थे । रणजीतसिंह की वृद्धावस्था में प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह ही मंदिर की तमाम प्रबधं व्यवस्था व देख–रेख करता आ रहा है। रणजीत सिंह को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था । वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । बहस में आगे कथन किया कि मंदिर का पुजारी नियुक्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । राज्य सरकार ने जमाबंदियों में मंदिरों के नाम से पुजारियों के नाम हटा दिये है । बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट कभी भी मंदिर की भूमि की हकाई करने नहीं आया था न ही उसका कब्जा काश्त रहा है । वादी ने मंदिर की भूमि हड़पने की गरज से यह वाद प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री गोरधननाथ जी के खाते में दर्ज है जिससे अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । मंदिर की सम्पति, कृषि भूमियों की देखरेख एवं प्रबधंन मंदिर की सेवा पूजा करने का अधिकार किस व्यक्ति को यह सिफ व्यवहार न्यायालय ही तय कर सकता है न कि राजस्व न्यायालय । वादी के पास यदि कोई वसीयत हो तो भी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना वादी को प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि के कब्जे उपयोग से बेदखल नहीं कर सकता है । गोरधननाथ का मंदिर पारिवारिक मंदिर है, जो मुख्यतः राज परिवार के सदस्यों द्वारा सेवा पूजा किये जाने हेतु है । मंदिर का पुजारी राज परिवार का मुखिया ही हो सकता है । मंदिर के पुजारी का पद पीढ़ियों से रूढ़ि के अनुसार चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एवं मुखिया होने से उक्त मंदिर की सेवा पूजा करने का एक मात्र हक रखता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण कर प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज

किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया गया । अपीलाधीन भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 के अनुसार खसरा नंबर 528/1 रकबा 7–17–00 व खसरा नंबर 869 रकबा 69–17–00 बीघा भूमि खाता संख्या 198 में माफी मंदिर गोरधन नाथ जी स्थान साकिन देह खातेदार दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 528 के चौसाला खसरा नंबर 474 एवं 869 के चौसाला खसरा नंबर 608 बने है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के अनुसार खसरा नंबर चौसाला 474 एवं 608 मिन मंदिर श्री गोरधन नाथ जी बहतमाम पुजारी रणजीतसिंह वल्द संग्राम सिंह राजपूत साकिन देह दर्ज है । विधिअनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर मूर्ति की भूमि पर से पुजारियों के नाम विलोपित कर दिये गये है । हस्तगत वाद मंदिर मूर्ति गोर्धननाथ जरिये सरंक्षक पुजारी शम्भूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत द्वारा दिनांक 14.9.1996 की वसीयत जो कि ठा0 रणजीतसिंह द्वारा वादी के पक्ष में किया जाना अंकित किया गया है, के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18.5. 2007 को आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व न्यायालय मंदिर के पुजारी के पद का अधिकार तय करने में सक्षम नहीं है तथा मंदिर के पुजारी पद का विवाद सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सरवाड़ के समक्ष लंबित है । इस कारण वाद क्षैत्राधिकारिता के अभाव में खारिज किया जावे । जवाब में वादी द्वारा यह कथन किया गया कि वादी मंदिर के प्रबंधक की मृत्यु के पश्चात् जरिये वसीयत वादी को नियुक्त किया गया है एवं वादी द्वारा निरन्तर सेवा–पूजा की जा रही है । यह भी कथन किया कि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रकरण भी अधी0न्याया0 द्वारा एवं हाजा न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में किया जा चुका है एवं धारा 212 का प्रकरण वर्तमान में मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है । उभयपक्षों की बहस के अनुसार जहां तक धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रश्न है वाद अथवा वाद में अन्तर्निहित बिन्दू विनिश्चय करते समय धारा 212 में दिया गया निष्कर्ष वाद को प्रभावित नहीं करता है । धारा 212 में दिया गया निष्कर्ष केवल मात्र अस्थाई होता है एवं वाद के गुणावगुण को प्रभावित भी नहीं करता है । वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 जन प्रतिनिधि की हैसियत से प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि वाद तथाकथित वसीयत दिनांक 14.9.1996 के आधार पर व्यक्तिगत रूप से मंदिर की ओर से पेश किया गया है तथा बरवक्त वसीयत ठाकुर रणजीतसिंह बहैसियत अहतमाम अथवा पुजारी अथवा प्रबंधक दर्ज नहीं थे । वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के अनुसार सक्षम सिविल न्यायालय पुजारी के संबंध में वाद विचाराधीन है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद जनहित अथवा जन प्रतिनिधि की हैसियत से प्रस्तुत न कर तथाकथित वसीयत के आधार पर व्यक्तिगत हित के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कि राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही है । जहां तक मंदिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा का प्रश्न है राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, सरवाड़ सक्षम है । यदि मंदिर के हितों पर कुठाराघात हो रहा है तो तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा चाराजोही की जाना अपेक्षित है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांट अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.2009 को यथावत् रखा जाता है तथा तहसीलदार, सरवाड़ को निर्देश दिये जाती है कि अपीलाधीन भूमि के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.06 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: